

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मैनपुरी ।
पत्रांक 179 /14-1 मैनपुरी :दिनांक: जुलाई 20, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक
आगरा वृत्त आगरा ।

विषय:- मैनपुरी में शिकोहाबाद- भोगांव मार्ग (एस0एच0-84) किमी0 चैनेज 21.000 से 43.800 एवं घिरोर बाईपास लम्वाई 6.56 किमी0 कुल 25.66 किमी0 लम्वाई में 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण निर्माण कार्य हेतु 24.92755 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4645 वृक्षों एवं पौधों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का कार्यवृत्त दि0 04-07-2018 का Agenda item 30.1 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पं0 37/ मैनपुरी / 25364/ 2017 दिनांक 05-07-2018

महोदय,

उक्तरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Agenda item 30.1 के सापेक्ष में उपलब्ध कराई गई बिन्दुवार सूचनाएँ (अभिलेखों सहित) निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित है :-

S. No.	Comments	Reply
1	The diversion of Total 24.92755 hectare forest land shall contain all such areas diverted earlier in favour of retail outlet/ petrol pumps under FC Act by MoEF&CC and State Govt.	उक्त विन्दु की आख्या संलग्न है (संलग्नक-1)
2	The user Agency shall provide access to all above outlets/ petrol pumps located along the road	उक्त विन्दु की आख्या संलग्न है (संलग्नक-2)
3	The Site specific scheme of compensatory afforestation shall be resubmitted before issuance of Stage- 1 approval.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के सम्वन्ध में किशानी वन प्लाक एवं समान वन प्लाक में स्थल का चिन्हीकरण कर संशोधित अभिलेख संलग्न कर प्रस्तुत है । (संलग्नक-3)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

पत्रांक 179 / दिनांकित

- 1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित ।

(सिद्धार्थ अम्बेडकर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी